

२५/८/२२

पत्रावली पेश हुई। विभागीय पत्रावली (उप.)  
 विपक्षी की लही सफुगत पेश गयी की गयी।  
 वसंत पूर्व श्री आदेशिका क्रिक ८-५-२२ से  
 ही विभागीय पत्रावली के अंतर्गत अधि  
 पत्र से सूचित किया गया। आदेशिका क्रिक  
 १५-५-२२ से श्री पुनः पत्र द्वारा सूचित किया  
 गया। बावजूद इसके जारी गत अध्याय  
 आदेश की अवगणना कर विपक्षी की लही  
 सफुगत अधिकांश तक प्रस्तुत गयी की गयी।  
 जिससे विपक्षी की लही के अंतर्गत प्रवृत्त  
 अनावश्यक लखिर - चल रहा है। अतः विपक्षी  
 के लही सफुगत के अंतर्गत जारी का प्रारंभ  
 अंतर्गत बाध दुःख एवं अतः अधिनियम २००६  
 की धारा १६ की उपधारा २(ii) अन्वयेण  
 किया गया है। जारी विपक्षी की लही सफुगत  
 के साथ गत प्रारंभ प्रस्तुत वल्ले टेटु (बन्धनी)  
 पत्रावली गंवारी कद करें।

*[Signature]*  
 न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
 (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम २००६)  
 भीलवाड़ा (राज.)